<u>प्रकरण संख्या 37/2017 हटीया बनाम चम्पा व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड एवं निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 08.06.2017 को वास्ते साक्ष्य लम्बित थी। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.06.2017 को प्रकरण लोक अदालत कैम्प में अपीलान्ट/प्रतिवादी को सूचित किये बिना व सुने बिना, प्रकरण में साक्ष्य लिये बिना तथा प्रतिवादी/अपीलान्ट को जिरह का अवसर दिये बिना प्रकरण शिविर में रखकर निर्णय पारित कर दिया जो स्पष्टतया प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक प्रकिया के प्रतिकूल है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2009–10 (Supp.) पेज 143 पेश की गयी जो गुणावगुण से संबंधित है तथा इस प्रकरण में गुणावगुण पर विचारण तब किया जाना उचित होगा जबकि प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया गया हो। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक प्रकिया के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को वादी की साक्ष्य लेकर तथा उसे जिरह करने का अवसर देकर गुणावगुण आधार पर विधिक निर्णय पारित करें। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों की उपस्थिति के साथ दिनांक 06.08.2018 को पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	